संजय मेधावी
कुलसचिव
Sanjay Medhavi
Registrar

लखनऊ विश्वविद्यालय
(नैक द्वारा A++ ग्रेड प्रत्यायित)
लखनऊ–226007 (उ.प्र.) भारत
University of Lucknow
(Accredited A++ by NAAC)
Lucknow-226007 (U.P.) India

Ref. ....

Date..............................

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 512/सत्तर–2–2023–16(11)/2017, दिनांक : 28.02.2023 द्वारा नवीन महाविद्यालय अथवा पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) में सत्र 2023–24 के लिए अनापत्ति एवं सहयुक्तता हेतु लम्बित प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए शासनादेश दिनांक 14.07.2022 द्वारा निर्धारित समय–सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

क.सं.	कार्यवाही	समय–सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि	———
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	17 मार्च, 2023 तक
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 25 मार्च, 2023 तक
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	10 अप्रैल, 2023 तक (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा **दिनांक 03 अप्रैल** तक निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा **10 अप्रैल** तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 31 मई, 2023 तक
6	सदस्य सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना	दिनांक 05 जून, 2023 तक
7	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जून, 2023 तक
8	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 जून, 2023 तक
9	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जुलाई, 2023 तक

नोट :–उ0प्र0 शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय–सारिणी की तिथि व्यतीत होने के उपरान्त दिनांक 16 जुलाई को लम्बित आवेदन पत्र पोर्टल में स्वतः विलोपित कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित संस्था को नियमानुसार नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त प्रस्तावित नवीन महाविद्यालयों/पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की अनापत्ति/सहयुक्तता हेतु अनिवार्य रूप से **शासन के अनापत्ति/सम्बद्धता के पोर्टल *"henoc.upsdc.gov.in"* पर** उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार आवेदन/अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त (लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी) महाविद्यालयों में पूर्व से संचालित ऐसे पाठ्यक्रमों (बी0एड0 के अतिरिक्त) जिनकी सम्बद्धता/सहयुक्तता 30 जून, 2023 को समाप्त होने जा रही है, को भी निर्देशित किया जाता है कि– **"आगामी शिक्षण सत्र 2023–24 से स्थायी सहयुक्तता हेतु विश्वविद्यालय से *शासनादेश के अनुसार "henoc.upsdc.gov.in" पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से* निरीक्षक मण्डल प्राप्त कर स्थलीय निरीक्षण आख्या/सुसंगत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत ऑनलाइन विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में सत्र 2023–24 से ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।"**

3. **स्थलीय निरीक्षण मण्डल नामित किये जाने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय के खाते में ऑन लाइन "lufees.in" पर दिये गये लिंक के माध्यम से पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क रू0 35400/–(30000+18प्रतिशत जी.एस.टी.) एवं नवीन महाविद्यालयों के लिए रू0 59000/–(50000+18 प्रतिशत जी.एस.टी.) प्रति पाठ्यक्रम जमा कर आवेदन पत्र के साथ उसकी रसीद की प्रति एवं पूर्व में प्राप्त सम्बद्धता/ सहयुक्तता/अनापत्ति पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है।**

(संजय मेधावी)
कुलसचिव

संख्या : AF-4959-63 दिनांक : 2/3/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी–लखनऊ, सीतापुर एवं हरदोई को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, ल0वि0वि0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम, आशियाना लखनऊ।
5. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई–मेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

2-3-23
कुलसचिव